भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2544
जिसका उत्तर बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

विधिक सहायता हेतु सरकारी काँसेल की नियुक्ति

+2544. श्री बालक नाथ :

श्री सुमेधानन्द सरस्वती :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने हेतु सरकारी काँसेल की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित क्या प्रक्रिया विद्यमान है ;

(ख) वर्तमान में देश में मौजूद सरकारी काँसेल की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकारी काँसेल के पद रिक्त हैं या और अधिक सरकारी काँसेल को नियुक्त करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार सबको न्याय दिलाने के लिए प्रत्येक जिले या तहसील में नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान कर आपसी सहमति से मामले निपटाने हेतु केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम 2010 जनसंख्या के पात्र वर्ग को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए पैनल अधिवक्ताओ के पैनलीकरण के लिए मापदंड और प्रक्रिया का उपबंध करता है। पैनल अधिवक्ताओ का चयन कार्यपालिका अध्यक्ष या विधिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष द्वारा महान्यायवादी (उच्चतम न्यायालय के लिए), महाधिवक्ता(उच्च न्यायालय के लिए), जिला अटार्नी या सरकारी प्लीडर (जिला और तालूका स्तर के लिए) और संस्थान की मानीटरी तथा मानीटरी समिति की सलाह से किया जाता है।

(ख) : कुल 61,295 अधिवक्ता, ऐसें लोगो को जो ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सम्पूर्ण देश में राज्य और जिला स्तर पर विधिक सेवा संस्थान में पैनलीकृत है।

(ग) : पैनल अधिवक्ता कार्यभार के अनुसार विधिक सेवा संस्थान द्वारा पैनलीकृत किये जाते है। आज तक पैनल अधिवक्ताओ की अपेक्षित संख्या विधिक सेवा संस्थान में उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) : विधिक सेवा संस्थान ने पारस्परिक सहमती से विवादो के निपटान (लाम्बित साथ ही मुकदमबाजी से पूर्व के स्तर पर) के लिए मध्यकता केन्द्र स्थापित किये है। मध्यकता विवादो के निपटान के लिए विख्यात और उपयोगी रीति के रुप में उभरा है। 30/06/2019 की स्थिति के

अनुसार 500 से अधिक मध्यकता केन्द्र सम्पूर्ण देश में स्थापित किये गये है। वर्ष 2018-19 के दौरान 98 हजार से अधिक मामले सौहार्दपूर्ण रुप से मध्यकता के माध्यम से निपटाये गये हैं।

****